



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक / 7705 / NR-4/4/11

भोपाल, दिनांक 26/07/11

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र
जिला पंचायत— समस्त

विषय :— मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से मजदूरी भुगतान विषयक।

::::00::

विषयान्तर्गत लेख है कि मनरेगा योजनान्तर्गत मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से जिन जिलों में मजदूरी भुगतान किया जा रहा है वह संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रतिमाह की 10 तारीख तक जानकारी भेजना सुनिश्चित करे। एवं जिन जिलों द्वारा मोबाईल बैंकिंग के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा रहा है वह योजना लागू किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न :— यथोपरि

(डॉ राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

1. मोबाइल वाहनों के माध्यम से बैंक के द्वारा मजदूरी भुगतान –

क्र.	जिला	कब से लागू	जिला बैंक	कुल लगाये गये वाहन	योजना कितने ब्लाकों में लागू हैं	लाभांशित प्राप्ति पर्यायते	कुल हितग्राही	योजना से प्रारंभ मार्च 2011 अंत तक	वितरित मजदूरी और अप्रैल 11 से अद्यतन माह तक	कुल मजदूरी वितरित

2. मोबाइल वाहनों के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के द्वारा मजदूरी भुगतान –

क्र.	जिला	कब से लागू	जिला पोस्ट ऑफिस का नाम	कुल लगाये गये वाहन	योजना कितने ब्लाकों में लागू हैं	लाभांशित प्राप्ति पंचायते	कुल हितग्राही	योजना प्रारंभ से मार्च 2011 अंत तक	वितरित मजदूरी राशि अप्रैल 11 से अद्यतन माह तक	कुल मजदूरी वितरित

राज्य राज्य